न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 129/2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025/177

1. महावीर पुत्र दौलतराम जति ब्राह्मण निवासी शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार राजस्व पूगल जिला बीकानेर।
2. भंवरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी करणीसर भाटियान तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. रामरतन पुत्र तोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बादनू तहसील नोखा हाल तहसील जसरासर जिला बीकानेर।

—रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री प्रहलाद जाखड़ — अभिभाषक अपीलांट
एकतरफा कार्यवाही — रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 20.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 18.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है –

1– वादगत भूमि ग्राम करणीसर भाटियान तहसील पूगल के खसरा नंबर 350/258/25 की 50 बीघा भूमि, जिसके वर्तमान सेटलमेंट खसरा नंबर 238/440 में 0.33 हैक्टेयर, 2339/370 में 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 256 में 3.08 हैक्ट. व ख.नं. 441 में 9.13 हैक्ट. कुल खसरा 4 कुल तादादी 12.65 हैक्टेयर भूमि रेस्पो. सं. 2 को दिनांक 20.08.1971 को आवंटित हुई, जिसे रेस्पो. सं. 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2009 को हरीसिंह पुत्र लाल सिंह को विक्रय कर दी। हरीसिंह ने उक्त वादगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2013 को दौलतराम पुत्र नानूराम को विक्रय कर दी तथा दौलतराम पुत्र नानूराम ने उक्त वादगत रकबा जरिये गिफ्ट डीड दिनांक 17.02.2023 अपीलांट को हस्तांतरित कर दी। रेस्पो. सं. 3 द्वारा अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2025 पारित करते हुए रेस्पो. सं. 2 के आवंटन को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज व लिखित बहस पेश करते हुए अवगत कराया कि रेस्पो. सं. 3 रामरतन ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत केवल रेस्पो. सं. 2 को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया जबकि जिस दिन प्रार्थना पत्र पेश हुआ उस दिन अपीलांट उक्त रकबा का खातेदार काश्तकार था तथा उसका मौके पर कब्जा था व राजस्व रिकार्ड भी अपीलांट के नाम से चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो. सं. 3 शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र आवंटन के 53 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत हुआ, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि कानून के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद नियमों की प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है। नियम 14 के उप नियम (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग कलक्टर द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पहले किया जा सकता है। आर बी जे 1995 पेज नंबर 780 माननीय उच्च न्यायालय राज. डीबी के निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 01.04.2024 में तहसीलदार पूगल से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया गया था किन्तु उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना, उचित तामिल करवाए बिना व आवंटन पत्रावली मंगवाए बिना कूनन को ताक में रख कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3– राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2024 रेस्पो. सं. 3 द्वारा अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर मूल आवंटी के आवंटन को नियम विरूद्ध मानते हुए निरस्त कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिया। अधीनस्थ न्यायालय में शिकायतकर्ता के अभिभाषक द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व जनाधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की थी, जिससे स्पष्ट था कि आवंटन के समय आवंटी की आयु मात्र 11 वर्ष रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2025 पारित करते हुए रेस्पो. 3 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 को स्वीकार कर लिया तथा आवंटी रेस्पो. सं. 2 के आवंटन को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलाधीन तथ्यों की गहनता से जांच किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2025 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर